समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला आपूर्ति शाखा)

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 28-11-2015 को आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(2) गैस एजेन्सी को नोटिस :-

जिलाधिकारी द्वारा वैसे लापरवाह गैस एजेन्सी, जो घरेलू गैस वितरण में गड़बड़ी /धांधली करते हैं, तो उन्हें नोटिश कर कार्रवाई करने के साथ-साथ इन गैस एजेन्सी के स्टॉक पंजी/वितरण पंजी की भी जॉच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।

(3) बैक लॉग :-

जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी मालिकों से एल0पी0जी0 के बैक लॉग के संबंध में पृच्छा की गयी। बताया गया कि बैक लॉग नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी मालिकों को निदेश दिया गया कि एल0पी0जी0 की किल्लत नहीं होनी चाहिए। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इससे संबंधित मासिक प्रतिवेदन भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

(4) नया एल0पी0जी0 कनेक्शन :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि गैस एजेन्सी मालिकों द्वारा नये एल0पी0जी0 कनेक्शन में तय राशि से अधिक राशि लिया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सभी गैस एजेन्सी के काउन्टर पर नया कनेक्शन हेतु निर्धारित दर टंगवाने का निदेश दिया गया। नया कनेक्शन के साथ चुल्हा लेने के लिए दवाब नहीं देने का निदेश भी सभी गैस एजेन्सी मालिकों को दिया गया।

(5) व्यवसायिक गैस :-

जिलाधिकारी द्वारा जिले में व्यवसायिक गैस के खपत पर असंतोष व्यक्त की गयी एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को जिले के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों पर छापामारी करने एवं छापामारी का विडियोग्राफी कर विडियो को Whatsapp के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने एवं प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। Whatsapp पर ग्रुप बनाने की जिम्मेवारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दी गई।

छापामारी के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से प्रखण्डवार समीक्षा की गयी एवं निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह कम से कम 05 से 10 दूकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापामारी करें। इसका अनुपालन करने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया ।

(6) गैस सब्सिडी छोड़ने :-

जिलाधिकारी द्वारा गैस सब्सिडी छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या के बारे में पृच्छा की गयी,जिससे संबंधित संतोषजनक जबाव गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर द्वारा नहीं दिया गया। बैठक में सभी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के मासिक प्रतिवेदन में Subsidy Give Up का कॉलम बनाकर रिपोर्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराय

(7) DBTL :-

जिलाधिकारी द्वारा DBTL का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि DBTL के तहत् गैस प्राप्ति एवं आपूर्ति में बहुत अन्तर है। जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी मालिकों को निदेश दिया गया कि जो ग्राहक जिले से बाहर रहते है, उनका कनेक्शन लॉक कर दिया जाए एवं पुनः जब वे आते हैं, तो कनेक्शन लॉक खोल दिया जाए, जिससे वास्तविक खपत का पता चल सके एवं गैस की किल्लत न हो सके। इससे संबंधित प्रतिवेदन सभी गैस एजेन्सी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को देगें।

(8) किरासन तेल :-

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि किरासन तेल की प्राप्ति एवं वितरण की जाती है अथवा नहीं। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किरासन तेल प्राप्ति एवं वितरण की जांच की जाती है। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को प्राप्ति एवं वितरण का मोबाईल से फोटो लेकर Whatsapp के माध्यम से फॉटो अपलोड करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मधेपुरा अनुमण्डल में किरासन तेल का डिपो नहीं है। प्रखंड मधेपुरा/नगर परिषद मधेपुरा एवं प्रखंड घैलाढ का किरासन तेल का उठाव मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेनसी उदाकिशुनगंज से ही जोड़ दिया गया, जिससे काफी परेशानी होती है। जिलाधिकारी द्वारा नया एजेन्सी के लिए पत्राचार करने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।

(9) पी0डी0एस0 :-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एस0एफ0सी0 में चावल 15 दिनों से नहीं आ रहा है। इस संबंध में जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दो दिन पहले चावल लाने हेतु आदमी को विक्रमगंज भेजा गया है। चावल लोड हो रहा है। चावल हेतु मांग-पत्र 28-10-2015 को ही भेजा गया है।

जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा को अधोहस्ताक्षरी के तरफ से प्रबंध निदेशक, एस0एफ0सी0, पटना से पत्रावार करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से स्टॉक मोनिटरिंग करें तथा स्टॉक खत्म होने के 20 दिनों के पहलें ही अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भविष्य में इस तरह की समस्या आने पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा सीधे जिम्मेवार माने जायेगें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी स्वयं इसका पर्यवेक्षण करेगें।

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के डीलरों द्वारा किस महीने तक खाद्यान्न का उठाव किया गया है। जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि डिलर के द्वारा पैसा विलम्ब से जमा होने के कारण उठाव में विलंब होता है।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अगले महीने से सिर्फ नवम्बर, 2015 माह का पैसा लिया जाएगा एवं नवम्बर माह का ही चावल दिया जाएगा एवं माह के 10 तारीख के बाद पैसा जमा नहीं लिया जाएगा। अगर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उक्त अवधि में राशि नहीं होती है, तो इसके लिए बैंकों से बात करके डीलरों को ऑभर ड्राफ्ट करवाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को दिया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक आगामी महीने की राशि राज्य खाद्य निगम के खाते में जन वितरण प्रणाली वित्त से जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता ससमय राशि जमा नही करते है उनके विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाय। इसमें चूक के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सीधे जिम्मेवार माने जायेगें।

(10) एस0आई0ओ0 :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से पृच्छा की गयी कि नवम्बर माह में कितना एस0आई0ओ0 जमा हुआ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1194 एस0आई0ओ0 में से 817 एस0आई0ओ0 का जमा हो चुका है।

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि किन-किन प्रखण्ड में अभी तक एस0आई0ओ0 जमा नहीं हुआ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशि जमा करने के बाद भी, एस0एफ0सी0, के वेवसाईट पर लंबित दिखाया जाता है।

(11) जी0पी0एस0 :-

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि चावल रेलवे रैक से गोदाम तक ले जाने हेतु कितने गाड़ियों का करार दिया गया है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 35 ट्रकों का करार किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त बताया गया कि गाड़ियों में लगा जी0पी0एस0 सिस्टम ऑफ रहता है। निदेश दिया गया कि चावल रेलवे रैक से गोदाम तक ले जाने हेतु 28 रूपया प्रति मैट्रिक टन दिया जाता है। जिस गाड़ी का जी0पी0एस0 सिस्टम ऑफ रहता है, उस गाड़ी /वाहन मालिक को होने वाले भुगतान मे से विधिवत् कटौती की जाय।

(12) धर्म कांटा :-

बैठक में जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि सी0डब्लू0सी0 में धर्म कांटा चालू नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि चावल सी0डब्लू0सी0 के धर्म कांटा पर ही तौल कर लिया जाय। सी0डब्लू0सी0 को बंद पड़े धर्म कांटा के विषय में पत्राचार करने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।

(13) नये जन वितरण प्रणाली दुकान :-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकानों की संख्या कम है, जिससे लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा तय की गयी दूरी से बहुत अधिक दूरी जाना पड़ता है।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 की जनसंख्या एवं शहरी क्षेत्रों में 1300 की जनसंख्या पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान आवंटित करने हेतु संचिका उपस्थापित कर 15 दिनों के अंदर दूकान आवंटित करने का निदेश दिया गया।

(14) कूपन वितरण :-

जिलाधिकारी द्वारा राशन कार्ड एवं कूपन वितरण की प्रखण्डवार समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि ग्वालपाड़ा एवं आलमनगर में कूपन वितरण में शिथिलता बरती गयी है। ग्वालपाड़ा/आलमनगर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से संबंध में स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया गया।

साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 7105 दिनांक 03.09.2015 के आलोक में जिलाधिकारी द्वार अवशेष कूपनों को पात्र लाभूकों को पूर्ववत् शीघ्र वितरण कराये जाने के निदेश के साथ-साथ खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण राशन एवं किरासन कूपन के माध्यम से कराये जाने एवं लाभार्थियों से प्राप्त कूपन के आधार आवंटन करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा जिला को दिया गया । इसमे किसी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेगें।

बैठक में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर परिषद्, मधेपुरा में कुछ गलत व्यक्तियों को पंचायत सचिव द्वारा कूपन का वितरण किया गया है। परन्तु, उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त की गयी एवं पृच्छा की गयी कि उक्त पंचायत सचिव पर जांच कर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी तथा इस संबंध में प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं किया गया। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा को प्रखंड मधेपुरा में कूपन वितरण की जॉच कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(15) राशन कार्ड वितरण :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि राशन कार्ड का वितरण क्यों नहीं हुआ है? जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड का वितरण संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाती है। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति